क्रम-संख्या--163 (ङ)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 12 मार्च, 1983

फाल्गुन 21, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 938/सत्रह-वि0-1--189-81

लखनऊ, 12 मार्च, 1983

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1983 पर दिनांक 11 मार्च, 1983 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1983

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1983]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 2 और धारा 3 का खण्ड (ग) 23 दिसम्बर, 1981 से प्रवृत्त समझे जायेंगे, धारा 3 के खण्ड (क) और (ख) 7 अप्रैल, 1982 से प्रवृत्त समझे जायेंगे और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :--

"(4) (क) जहां किसी कारण से, चाहे वह जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ है या नहीं हो सका है, वहां प्रबन्ध कमेटी, इस अधिनियम या नियमों या समिति की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे कार्यकाल के समाप्त होने पर विद्यमान नहीं रह जायगी।

(ख) निबन्धक ऐसे कार्यकाल की समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने तक, समिति के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिये प्रशासक या प्रशासक कमेटी (जिसे आगे इस धारा में "कमेटी" कहा गया है) नियुक्त करेगा, और निबन्धक को समय-समय पर, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी के किसी सदस्य को बदलने या प्रशासक के स्थान पर कोई कमेटी या कमेटी के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (4) के, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के पूर्व थी, अधीन नियुक्त किसी प्रशासक को सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जायगा और उसके द्वारा कृत कार्यवाही या प्रयुक्त शक्ति या सम्पादित कृत्य को न तो अविधिमान्य समझा जायगा और न किसी न्यायालय में इस आधार पर कि इस रूप में उसकी नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या इस आधार पर कि प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन समय से नहीं हुआ था या उसके पद का कार्यकाल सम्यक् रूप से बढ़ाया नहीं गया था, आपत्ति नहीं की जायगी।

(ग) जहां खण्ड (ख) के अधीन कोई कमेटी नियुक्त की जाये, वहां, उसमें एक सभापति और आठ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें निबन्धक द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा और जिनमें कम से कम दो सदस्य सरकारी सेवक होंगे।

(घ) कमेटी की बैठक बुलाने और उनका आयोजन करने की प्रक्रिया, ऐसी बैठकों का आयोजन करने का समय और स्थान, ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या ऐसी होगी जैसी नियत की जाय।

(ङ) जब तक खण्ड (ख) के अधीन, यथास्थिति, किसी प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति न की जाय, तब तक, यथास्थिति, समिति का सचिव या प्रबन्ध निदेशक प्रबन्ध कमेटी के केवल चालू कर्तव्यों का प्रभारी होगा।

स्पष्टीकरण--जहां बहिर्गामी प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसी कारण से, चाहे जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम घोषित न किये गये हों या घोषित न किये जा सके हों, वहां यह समझा जायगा कि प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन इस उपधारा के अर्थान्तर्गत नहीं हुआ है।

(5) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्रशासक या कमेटी को, ऐसे किसी निदेश के अधीन रहते हुए, जिसे निबन्धक समय-समय पर दें, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अधीन समस्त प्रयोजनों के लिये उसे प्रबन्ध कमेटी समझा जायगा और ऐसी कमेटी का सभापति प्रबन्ध कमेटी के सभापति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(6) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी, यथाशीघ्र, किन्तु नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी से समिति का प्रबन्ध लेने के लिये इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (4) के खण्ड (ख) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट प्रशासक अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति से एक वर्ष के भीतर या 30 जून, 1983 तक इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन की व्यवस्था करेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी प्रशासक के स्थान पर कमेटी या कमेटी के स्थान पर प्रशासक रखा जाय, जैसा कि उपधारा (4) के खण्ड (ख) में उपबन्धित है, वहां एक वर्ष की अवधि की गणना, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी की मूल नियुक्ति के दिनांक से की जायगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्ध इस उपधारा के अधीन प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन के संबंध में लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण :—उपधारा (4) के अधीन प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति के पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया के प्रारम्भ हो जाने पर भी, ऐसी नियुक्ति के पश्चात् निर्वाचन की नई प्रक्रिया प्रारम्भ की जायगी ।"

3—मूल अधिनियम की धारा 35 में,— धारा 35 का संशोधन

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(3) यदि निबन्धक ने उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण कर दिया हो तो वह उसके स्थान पर, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जिसे अवक्रमण आदेश में विनिर्दिष्ट किया जायगा, निम्नलिखित नियुक्त कर सकता है:—

(क) एक नई कमेटी जिसमें समिति का एक या अधिक सदस्य होंगे, या

(ख) कोई प्रशासक या प्रशासकगण जिसके या जिनके लिए समिति का सदस्य होना आवश्यक नहीं है :

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक राज्य सरकार के अनुमोदन से अवक्रमण की अवधि को समय-समय पर बढ़ा सकता है, किन्तु किसी एक बार में बढ़ाई गई अवधि छः मास से अधिक न होगी और कुल बढ़ाई गई अवधि एक वर्ष से अधिक न होगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1983 की धारा 3 के खंड (क) के प्रारम्भ के पूर्व नियुक्त कमेटी या प्रशासक या प्रशासकगण को सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जायगा और, यथास्थिति, उसके या उनके द्वारा कृत कार्यवाही या प्रयुक्त शक्ति या सम्पादित कृत्य को न तो अविधिमान्य समझा जायगा और न किसी न्यायालय में इस आधार पर कि इस रूप में उसकी नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या इस आधार पर कि प्रबन्ध कमेटी का पुनस्संगठन समय से नहीं हुआ था या अवक्रमण की अवधि या उसके या उनके पद का कार्य-काल सम्यक् रूप से नहीं बढ़ाया गया था, आपत्ति नहीं की जायगी ।"

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(6) उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने के पूर्व, उपधारा (3) और (4) के अधीन नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकगण उक्त अवधि के व्यतीत होने पर सहकारी समिति का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनस्संगठन करने की व्यवस्था करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि कमेटी या प्रशासक या प्रशासकगण जिनका कार्यकाल इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रारम्भ के पूर्व समाप्त हो गया है, प्रबन्ध कमेटी के पुनस्संगठन की व्यवस्था 30 जून, 1983 तक करेंगे ।"

(ग) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(7) धारा 29 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्ध इस धारा के अधीन प्रबन्ध कमेटी के पुनस्संगठन के सम्बन्ध में लागू होंगे ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 28 सन् 1982

4—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव ।

No. 938(2)/XVII-V—1—189-81

Dated Lucknow, March 12, 1983

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahkari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5, of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 11, 1983.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1983

[U. P. ACT NO. 5 OF 1983]

[*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1983.

(2) section 2 and clause (*e*) of section 3 shall be deemed to have come into force on December 23, 1981, clauses (*a*) and (*b*) of section 3 shall be deemed to have come into force on April 7, 1982, and the rest of the provisions shall come into force at once.

Amendment of section 29 of U. P. Act no. XI of 1966.

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the 'principal Act', *for* sub-sections (4), (5) and (6), the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(4) (*a*) Where, for any reason whatsoever, the election of the elected members of the Committee of Management has not taken place or could not take place before the expiry of the term of elected members, the Committee of Management shall, notwithstanding anything to the contrary in this Act or the rules, or the bye-laws of the Society, cease to exist on the expiry of such term.

(*b*) On or as soon as may be after the expiry of such term, the Registrar shall appoint an Administrator or a Committee of Administrators (hereinafter, in this section, referred to as the 'Committee') for the management of the affairs of the society until the reconstitution of the Committee of Management in accordance with the provisions of the Act, the rules and the bye-laws of the society, and the Registrar shall have the power to change the Administrator or, as the case may be, any member of the Committee or to appoint a Committee in place of an Administrator or *vice versa* from time to time :

Provided that any Administrator appointed under sub-section (4), as it stood prior to the commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1983, shall be deemed to have been duly appointed and no action taken or power exercised or function performed by him shall be deemed to be invalid or shall be called in question in any Court on the ground of any defect in his appointment as such or on the ground that the Committee of Management was not reconstituted within time or the term of his office was not duly extended.

(*c*) Where a Committee is appointed under clause (*b*) it shall consist of a Chairman and such other members not exceeding eight as may be nominated by the Registrar, out of which at least two shall be Government servants.

(*d*) The procedure for summoning and holding of meetings of the Committee, the time and place of holding such meetings, the conduct of business at such meetings and the number of members necessary to form quorum thereof shall be such as may be prescribed.

(*e*) So long as no administrator or, as the case may be, the Committee is appointed under clause (*b*), the Secretary or the Managing Director, as the case may be, of the society shall be in-charge only of the current duties of the Committee of Management.

Explanation—Where results of the election of members of the Committee of Management have not been or could not be declared, for any reason whatsoever, before the expiry of the term of the elected members of the outgoing Committee of Management, it shall be deemed that the election of the elected members of the Committee of Management has not taken place within the meaning of this sub-section.

(5) The Administrator or the Committee appointed under sub-section (4) shall, subject to any directions which the Registrar may from time to time give, have the power to perform all or any of the functions of the Committee of Management or of any officer of the society and shall be deemed for all purposes under this Act, the rules and the bye-laws of the society to be the Committee of Management and the Chairman of such Committee shall exercise the powers and perform the functions of the Chairman of the Committee of Management.

(6) The Administrator or the Committee, as the case may be, appointed under sub-section (4) shall, as soon as may be, but not later than the expiry of one year from the date of appointment, arrange for the reconstitution of the Committee of Management in accordance with the provisions of this Act, the rules and the bye-laws of the society to take over the management of the society from the Administrator or the Committee, as the case may be :

Provided that an Administrator, referred to in the proviso to clause (*b*) of sub-section (4), shall arrange for reconstitution of the Committee of Management within one year of his initial appointment or up to June 30, 1983, whichever be later:

Provided further that where an Administrator is replaced by a Committee or a Committee by an Administrator as provided in clause (*b*) of sub-section (4), the period of one year shall count from the date the Administrator or the Committee, as the case may be, was originally appointed:

Provided also that the provisions of the proviso to sub-section (3) of this section shall apply in respect of reconstitution of the Committee of Management under this sub-section.

Explanation—Notwithstanding that the process of election may have commenced before the appointment of Administrator or the Committee under sub-section (4), a fresh process of election shall commence after such appointment.".

3. In section 35 of the principal Act,—

(*a*) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely— Amendment of section 35.

"(3) Where the Registrar has superseded the Committee of Management under sub-section (1), he may appoint in its place, for a period not exceeding one year to be specified in the order of supersession,—

(*a*) a new committee consisting of one or more members of the society, or

(*b*) an administrator or administrators who need not necessarily be members of the society :

Provided that the Registrar may, with the approval of the State Government, extend, from time to time, the period of supersession so, however, that any single extension does not exceed six months and the total extension does not exceed one year :

Provided further that the Committee or an administrator or administrators appointed prior to the commencement of clause (*a*) of section 3 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1983, shall be deemed to have been duly appointed and no action taken or power exercised or functions performed by it or him, as the case may be, shall be deemed to be invalid or shall be called in question in any court on the ground of any defect in its or his appointment as

such or on the ground that the Committee of Management was not re-constituted within time or the period of supersession or the term of its or his office was not duly extended."

(b) *for* sub-section (6), the following sub-section shall be *substituted*, namely—

"(6) Before the expiry of the period specified under sub-section (3), the committee, administrator or administrators, appointed under sub-sections (3) and (4), shall arrange for the re-constitution of the Committee of Management in accordance with this Act, the rules and the bye-laws of the society to take over the management of the co-operative society on the expiry of the said period :

Provided that the committee or an administrator or administrators whose term has expired before the commencement of this proviso shall arrange for re-constitution of the committee of management by June 30, 1983."

(c) *after* sub-section (6), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(7) The provisions of the proviso to sub-section (3) of section 29 shall apply in respect of re-constitution of the Committee of Management under this section."

Repeal and savings.

4. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) (Third) Ordinance, 1982 is hereby repealed.

U. nan o

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 361 सा0 (विधा0)–14–3–83 (3966) 1983—950 (मैक0)